न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 158/2023

अनवान : –

1. मदनसिंह पुत्र बलराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. महेश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. कलावती पुत्री बलराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. गुडडी पुत्री बलराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. लिछमा पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. लीलावती पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
7. सरोज पुत्री बलराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
8. सावत्री पुत्री बलराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 05/03/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 68/55 की कुल 0.4050 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि सायल व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। सायल ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है गैरसायलान द्वारा सायलान की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है एवं गैरसायलान द्वारा अपने हिस्से की भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये बैय करना चाहता है एवं उक्त खाता की अच्छी भूमि पर काबिज होकर अजनबी क्रेतागणों को बेचान करना चाहता है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति गैरसायल को होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित एवं निवेदन किया की जवाब नही देना चाहते हे। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:07:59 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखी है प्रार्थी की अच्छी किस्म कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन करने पर उतारू

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है तथा अच्छी किस्म की भूमि का बिना विभाजन करवाये बेचान करना चाहता है इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की मैरिट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 68/55 की कुल 0.4050 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 28.06.2023 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक....13/03/2026 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:07:59 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर